प्रेस नोट

दिनांक- 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तो को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो कि गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2025 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा **03 वारण्टी अभियुक्तगण 1. सलमान पुत्र निसार निवासी ग्राम माहेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 771/2025 श्रीमति शमा बनाम सलमान धारा 147 सीआरपीसी थाना चिलकाना सहारनपुर **02. राजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम बडगांव थाना चिलकाना सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 7/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना चिलकाना **3. ऐजाज उर्फ ऐजाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 4590/2024 धारा 392,411,420 भादवि थाना सरसावा मा0 न्यायालय अपर मुख्य मजिस्ट्रेट तृतीय जनपद सहारनपुर नियत तिथि दिनांक 25.09.2025 को इनके घरो से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम पता-

1. सलमान पुत्र निसार निवासी ग्राम माहेश्वरी कला थाना चिलकाना सहारनपुर
2. राजू पुत्र राजेश निवासी ग्राम बडगांव थाना चिलकाना सहारनपुर
3. ऐजाज उर्फ ऐजाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री हरेन्द्र कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 880 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना तीतरो मिशन शक्ति केन्द्र पुलिस टीम द्वारा परिवार से बिछडे 1.5 वर्षीय बच्चे के परिजनो को मात्र 02 घण्टे मे तलाश कर किया गया सुपुर्द

➢ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.09.2025 को समय 09.30 थाना तीतरो मिशन शक्ति टींम को सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा उम्र करीब 1.5 वर्ष पीएनबी बैक कस्बा तीतरो मे लावारिश अवस्था घूम रहा है इस सूचना पर मिशन शक्ति पुलिस द्वारा तत्काल पीएनबी बैक पहुँचकर बच्चे को अपनी सुपुर्दगी लेकर मिशन शक्ति केन्द्र थाना तीतरो लाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान-5.0 के अन्तर्गत गुमशुदा/लावारिस घूम रहे बच्चो को उनके परिजनो को तलाश कर उनके सुपुर्द करने हेतू आदेश निर्देश निर्गत किये गये है आदेश के क्रमं मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक तीतरो श्री धर्मेन्द्र सिह के कुशल नेतृत्व में थाना तीतरो मिशन शक्ति केन्द्र टीम द्वारा सोशल मीडिया/लोकल इन्टैलीजेन्स के माध्यम से अति अल्प समय 11.30 बजे बच्चे के परिजनो को तलाश कर बच्चे शमी को उसकी माता खुशनुमा पत्नी शराफत निवासी मोहल्ला अफगानान कला कस्बा व थाना तितरों के सुपुर्द किया गया। अपने बच्चे के सकुशल मिलने पर परिजनो ने पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

परिजनो को तलाश करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. म0उ0नि0 अवनी उपाध्याय थाना तीतरो, सहारनपुर
2. म0का0 पूजा बालियान थाना तीतरो, सहारनपुर

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

क्षेत्राधिकारी देवबन्द व महिला थाना की रिपोर्टिंग चौकी देवबन्द प्रभारी द्वारा"मिशन शक्ति 5.0" के तहत सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल देवबन्द मे छात्राओ को महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन व कानून की जानकारी दी गयी।

- **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण मे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी देवबन्द व महिला थाना रिर्पोटिग चौकी प्रभारी देवबन्द द्वारा सर्वोदय ज्ञान पब्लिक स्कूल कस्बा देवबन्द मे छात्राओ को महिला सुरक्षा/ महिला सम्मान/ महिला स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया गया एवं डायल-112 वाहन की कार्य प्रणाली के विषय में भी जानकारी दी गयी तथा सेल्फ डिफेंस व कानून के सम्बन्ध मे जानकारी देकर जागरूक किया गया।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांकः 25.09.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी एण्टीरोमियो/मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2025 को थाना गागलहेड़ी एन्टी रोमियो/मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा महिला मुखबिर की सूचना पर 01 नशा तस्कर **अभियुक्त अनस पुत्र वाजिद खान निवासी सुनारो वाली गली ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को उग्राहू तिराहे पर बने यात्री शैड मे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 10 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 266/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अनस उपरोक्त के मादक पदार्थो के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै स्मैक की खरीद फरोख्त का काम करता हूँ। गागलहेडी क्षेत्र और जनपद सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रो मे नशा करने वाले लोगो व हाईवे पर स्थित ढाबो पर आने जाने वाले ट्रक ड्राईवरो को अच्छे दामो मे बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अनस पुत्र वाजिद खान निवासी सुनारो वाली गली ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 10 ग्राम अवैध स्मैक

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 36/25 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 266/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 मोनिका यादव तैनाती चौकी महिला थाना थाना गागलहेडी।
3. म0का0 434 अल्पना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 1332 ज्योति थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.09.25 को 01 वारन्टी अभियुक्त **जुबैर पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 927/धारा 125 24(3) सीआरपीसी सम्बन्धित न्यायालय प्रधान न्यायाधीपरिवार / न्यायालय सहारनपुर को इसके घर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

- जुबैर पुत्र शौकत अली निवासी ग्राम खेडा अफगान थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री विकास चारण नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 1806 योगेश कुमार नकुड जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि दिनांक 14.07.25 को वादी श्री विक्रान्त शर्मा पुत्र श्री संजीव कुमार शर्मा निवासी ग्राम अम्बैहटी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की मोटर साईकिल के आगे से ना हटना व हटने के लिए कहने पर अपने 3-4 दोस्तो को बुलाकर वादी के ऊपर जान से मारने की नियत से चाकू से वादी की आँख पर वार कर घायल कर देने के संबंध में थाना नकुड़ पर **मु0अ0स0 238/25 धारा 109(1) भा0न्या0सं0** आरिफ उर्फ राजा पुत्र शहीद आदि 04 उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराध नियन्त्रण हेतु वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री सन्तोष त्यागीके कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.09.25 को **अभियुक्त अनस पुत्र इखलाक निवासी मौ0 कोटला कस्बा अम्बैहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को पुराना बस अड्डा कस्बा अम्बहैटापीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अनस उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 14.07.25 को शाम के करीब 7.00 बजे मेरा एक मो0सा0 वाले से झगड़ा हो गया था, मैनें अपने मौहल्ले के ही साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट कर दी थी। उसने मुझे गन्दी गाली दी तो मुझे बुरा लगा, तो अपने साथियो के कहने व गुस्से में आकर उस व्यक्ति के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। जिससे वह व्यक्ति घायल हो गया था। जिसके बाद हम लोग भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अनस पुत्र इखलाक निवासी मौह्लल्ला कोटला कस्बा अम्बैहटापीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1924 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 25.09.2025

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान/ अन्य अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना मिर्जापुर मिशन शक्ति/एण्टीरोमियो पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.09.2025 को 02 वारण्टी 1.अमरेश उर्फ मीमा पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 3009/19 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर 2. मो0 यूसूफ पुत्र जमील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 1783/19 धारा 171जे भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टीगण के विरूध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टीगण का नाम व पता –

1. अमरेश उर्फ मीमा पुत्र पृथ्वी सिंह निवासी फतेहउल्लापुर जाटोवाला थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. मो0 यूसूफ पुत्र जमील निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम –

1. म0उ0नि0 दीक्षा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. महेका0 1153 प्रीती थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 1323 कुलदीप थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के आरोपी वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.09.25 को वादी श्री महताब पुत्र इकराम निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जिला सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी के भतीते आवेश पुत्र खुर्शीद को जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर शव को यमुना नदी में फैंक देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 353/25 धारा 103(1)/123/238(ख) बीएनएस महफूज पुत्र अब्बास आदि 04 अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 25.09.25 को अभियुक्त **महबूब उर्फ धौला पुत्र अब्बास निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को जैनपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- महबूब उर्फ धौला उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि खुर्शीद का लडका आवेश एक लडकी से बात चीत करता था। मेरा दोस्त भी उसी लडकी से बात करता था। आवेश को बीच में से हटाने का प्लान किया था। उसे कोल्डड्रिंक की बोतल में जहर दिया था। उसके बाद सब ने उसे नदी में डूबाके रखा ताकि उसके पेट में पानी भर जाये लोगो को यह लगे कि आवेश की मृत्यु पानी मे डूबने से हुयी है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- महबूब उर्फ धौला पुत्र अब्बास निवासी ग्राम टिडौली थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 650 वरणकार सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. का0 1924 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
6. का0 1806 योगेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 25.09.2025

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तरप्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 204 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थो/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”अभियान चलाया जा रहा है।

इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2025 को थाना गागलहेड़ी एन्टी रोमियो/मिशन शक्ति पुलिस टीम द्वारा महिला मुखबिर की सूचना पर 01 नशा तस्कर तासीन उर्फ तसिम पुत्र शफाकत निवासी ग्राम ताजोवाला खैरी थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर को खारा पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तासीन उर्फ तसिम उपरोक्त के कब्जे से 204 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त तासीन उर्फ तसिम उपरोक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 188/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। उक्त अपराधी थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0स0 21/25 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट में भी वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि साहब हम लोग पुलिस से बचते बचाते चोरी छिपे उत्तराखण्ड से यह नशीला सामान थोड़े सस्ते दामों में लेकर आता हूँ और ट्रक चालको व नशा करने वाले लोगो को महगे दामो में बेच देता हूँ। जिससे मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और मै अपने खाने पीने व घूमने फिरने के शौक पूर कर लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तासीन उर्फ तसिम पुत्र शफाकत निवासी ग्राम ताजोवाला खैरी थाना प्रतापनगर जिला यमुनानगर

बरामदगी का विवरण –

204 ग्राम अवैध चरस

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 21/25 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2.म0उ0नि0 दीक्षा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2.हेका0 391 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3.महेका0 1153 प्रीती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 25.09.25 को **एक वारण्टी अभियुक्त संजय पुत्र कृष्णपाल निवासी चमन पैलेस के पीछे ट्रान्सफार्मर के सामने बाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित परिवाद संख्या 3461/23 धारा 138 एनआई अधिनियम थाना कोतवाली नगर सहारनपुर नियत दिनांक 26.09.25 (अति0 न्यायालय सहारनपुर) को दबिश देकर उनके मसकन चमन पैलेस के पीछे ट्रान्सफार्मर के सामने बाल्मिकी बस्ती थाना को0नगर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. संजय पुत्र कृष्णपाल निवासी चमन पैलेस के पीछे ट्रान्सफार्मर के सामने बाल्मिकी बस्ती थाना कोतवाली सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राजकमल सिह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर
2. है0का0 862 विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

दिनांक- 25.09.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 96.72 ग्राम स्मैक तथा 110.01 ग्राम कट बरामद

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02शातिर नशा तस्कर/अभियुक्तगण **1. कादिर पुत्र अब्दुल सलाम नि0 हाल पता मुजफ्फरी मस्जिद खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर मूल निवासी फातिमा मस्जिद गली नं0 4 ग्राम हबीबगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. अकरम पुत्र अफजाल निवासी 8/276 चौब फरोसान निकट पुराना चिलकाना बस अड्डा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को ग्राम हौजखेडी की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से क्रमशः 96.72 ग्राम स्मैक तथा **110.01** ग्राम कट बरामद बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 361/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. कादीर पुत्र अब्दुल सलाम निवासी हाल पता मुजफ्फरी मस्जिद खाता खेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर मूल निवासी फातिमा मस्जिद गली नं0 4 ग्राम हबीबगढ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. अकरम पुत्र अफजाल निवासी 8/276 चौब फरोसान निकट पुराना चिलकाना बस अड्डा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 96.72 ग्राम स्मैक

➢ 110.01 ग्राम कट बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त कादिर का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 144/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 176/2023 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री भुपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. है0का0 31 शुभाष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. है0का0 559 सन्नी राणा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. है0का0 840 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. का0 1215 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

दिनांक:25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर पेड चोर/अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 22 गट्टे (पोपलर की लकडी), 01कुल्हाडा व 01 लोहे का आरा, 01 इन्चीटेप , 01 पिकअप UP11-CT-7515 व 01 मो0सा0 नं- UP 11-CM 8673 बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सजीव कुमार के कुशल नेतृत्व मे घटनाओं के सफल अनावरण हेतु थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 25.09.2025 को सूचना प्राप्त हुई कि तीन आदमी चोरी की लकडी काटकर सहारनपुर बेचने के लिये आ रहे है और दबकोरा बेहट की तरफ से टोडरपुर वाले रास्ते पर छुपकर पिकअप लिये खडे है इस सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान घेराबन्दी करते हुए **02 अभियुक्तगण 1. अभियुक्त अनिकेत पुत्र वेदपाल नि0 ग्राम जिवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर, 2. अभियुक्त अजय पुत्र शिवलाल नि0 ग्राम जिवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को दिनाक 25.09.25 जंगल ग्राम टोडरपुर से दबकौरा जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 22 गट्टे (पोपलर की लकडी) व लडकी काटने के उपकरण लोहे की 01 कुल्हाडा व01 लोहे का आरा, 01 पिकअप UP11-CT-7515, 01 इन्चीटेप व 01 मोटर साइकिल रजि0 नं- UP 11-CM 8673 बरामद किया गया । घटना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 248/25 धारा 317(5) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

विवरण पूछताछ – पूछताछ पर बताया कि ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों लोग मिलकर किसानों के खेतों में खडे पोपुलर के पेडों को रात में चोरी से काटकर बेच देते हैं , चोरी की पोपलर की लकडी है जो हमने पीछे बेहट के जंगल से रात्रि मे पोपलर के पेड काटकर चोरी की थी और आज हम चोरी छिपे इन लकडियो को बेचने के लिये सहारनपुर जा रहे थे इसलिये हमने पिकअप पुलिस के डर से जंगल मे खडा कर लिया था और जो बोलेरो पिकअप UP11-CT-7515 हमसे मिली है उसी में लाद कर कटे हुए पेडों को ले जाते है और चोरी छिपे यहां वहां अन्जान जगह लोगों को बेच देते है। और उनको इसी पिकअप में लाद कर ले जाकर यहां वहां अन्जान लोगों को बेच दिया था जिससे हम तीनों को अच्छा मुनाफा हो जाता है एक किसान के खेत से पोपुलर के पेड चोरी से काट लिया था लेकिन आज हमे आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अनिकेत पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम जिवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर,
2. अजय पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम जिवाला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 22 गट्टे (पोपलर की लकडी)
- 01 पिकअप UP11-CT-7515
- 01 मोटर साइकिल रजि0 नं- UP 11-CM 8673
- पेड काटने के उपकरण

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- उ0नि0 देवेन्द्र अधाना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2- का0 1349 नितिन धनकड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3- का0 2175 गोपाल सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4- का0 2228 हरिभान सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना सहारनपुर एन्टीरोमियो टीम द्वारा पत्नी के साथ आमदा फसाद करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार

➢ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद मे मिशन शक्ति के अन्तर्गत मनचले व महिलाओ के साथ आमदा फसाद अभियुक्तो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम मे अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2025 को थाना चिलकाना एन्टीरोमियो टीम द्वारा **अभियुक्त तमरेज पुत्र इमरान निवासी ग्राम घाटेड़ा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को अपनी पत्नी के साथ** आमदा फसाद करने के कारण ग्राम घाटेडा से अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. तमरेज पुत्र इमरान निवासी ग्राम घाटेड़ा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 2401 दुर्गेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. महिला पीआरडी प्रियंका थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देवबन्द जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियान "ऑपरेशन क्लीन" के तहत जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 35 मुकदमाती माल का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन क्लीन" के अनुपालन मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर (नोडल अधिकारी माल निस्तारण) एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन मे श्रीमान उपजिला मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय देवबन्द, सहारनपुर, श्रीमान अभियोजन अधिकारी सहारनपुर, प्रभारी निरीक्षक देवबन्द, सहारनपुर व हैड मोहर्रिर 497 सचिन दांगी की मौजूदगी में थाना कोतवाली देवबन्द पुलिस द्वारा आज दिनाँक 25.09.2025 को वर्ष 2020, 2021, 2022, 2023 तथा 2024 के जुआं अधि0 से सम्बन्धित 35 मुकदमाती माल का निस्तारण किया गया तथा पर्चा सटटा , गत्ता व ताश के पत्ते आदि को नियमानुसार विनिष्ट किया गया तथा उपरोक्त से सम्बन्धित धनराशि मुबलिक- 37960/- रू0 को राजकीय कोष मे अकब से जमा कराया जायेगा।

विनिष्टीकरण के समय उपस्थित

1. श्री युवराज सिहं, उपजिला मजिस्ट्रेट देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. श्री अभितेष कुमार, क्षेत्राधिकारी देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. श्री मनोज यादव, सहायक अभियोजन अधिकारी सहारनपुर
4. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. हैड मोहर्रिर 497 सचिन दांगी, थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

दिनांक: 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत त्वरित कार्यवाही करते हुए 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

➢ **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता,सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.09.2025 को थाना सरसावा पर पीडिता/वादिया की तहरीर बाबत अभियुक्त मुर्सलीन पुत्र स्व0 साजिद निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा अपनी असली पहचान छिपाकर अपना नाम मनोज शर्मा उर्फ सोनू बताकर वादिया के साथ वादिया की मांग मे सिन्दूर भरकर साथ रहना वादिया को अभियुक्त मुर्सलीन उपरोक्त के असली नाम की जानकारी होने पर वादिया द्वारा विरोध करने पर अभियुक्त मुर्सलीन उपरोक्त द्वारा वादिया के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 393/25 धारा 69, 115(2), 351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये, आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2025 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा अभियुक्त मुर्सलीन पुत्र स्व0 साजिद निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम कुम्हारहेडा कट देहरादून अम्बाला हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मुर्सलीन पुत्र स्व0 साजिद निवासी मौहल्ला हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री विनोद कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 ललित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
3. उ0नि0 आकाश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
4. है0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।
5. है0का0 1062 अमित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।

दिनांकः-25-09-2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल मिशन शक्ति केन्द्र की महिला उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में 01 घायल सहित कुल 04 गोकश/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अवैध छुरे, गोकशी के उपकरण व 01 जिंदा गोवंश बरामद-

अवगत कराना है कि **उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना "मिशन शक्ति अभियान फेज-5" के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में** जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती,गोकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 24/25.09.2025 की रात्रि को महिला उपनिरीक्षक सुमन यादव, थाना नागल द्वारा मय फोर्स के सिड़की चौकी क्षेत्र में गस्त व संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली की कुछ व्यक्ति ग्राम दंघेड़ा के जंगलो/खेतो में गोकशी करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम जैसे ही ग्राम दंघेड़ा के जंगल की तरफ जाने लगी तो कुछ दुरी पर खेत में से किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पुलिस टीम आवाज की दिशा की और बढ़ी तो देखा की कुछ व्यक्ति हाथ में छुरा लिये हुए गोकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख गोकशी का प्रयास कर रहे बदमाश पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। तीन अन्य बदमाशों को कॉम्बिंग के दौरान घेराबंदी कर पकड़ लिया गया तथा एक अन्य बदमाश अंधेरे व खेतो का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल/गोकश की पहचान **जाहिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई। अन्य तीन गोकश/अभियुक्तगण की पहचान **1.साजिद पुत्र जुनैद 2. महकार पुत्र फुरकान 3.राशिद पुत्र इरफान निवासीगण ग्राम दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार घायल/ गोकश के विरुद्ध थाना नागल पर गोकशी, धोखाधड़ी व मारपीट, गाली गलौज करने आदि आपराधिक घटनाओं में कुल 04 मुकदमें पंजीकृत है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 02 अवैध छुरे, गोकशी के उपकरण व 01 जिंदा गोवंश बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0-300/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/5/8 गौवध अधि0 व 3/4/25 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि हम लोग जगलों में घुम रहे आवारा पशुओ को पकडकर ईखो के खेतों में ले जाकर साथ में मिलकर गौकशी करते है। आज भी हम बछडे की गौकशी करने ही वाले थे कि आप लोग मौके पर आ गये तो पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख हम लोगो ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. जाहिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर
2. महकार पुत्र फुरकान निवासी ग्राम दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर

3. साजिद पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर
4. राशिद पुत्र इरफान निवासी ग्राम दनियालपुर उर्फ नौजली थाना नागल जनपद सहारनपुर

अभियुक्त जाहिद का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 203/11 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नागल सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 320/16 धारा 420/406 भादवि थाना नागल सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 329/16 धारा 406/420 भादवि थाना नागल सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 259/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना नागल सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 01 तमंचा मय 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर
- गौकशी के उपकरण (कुल्हाडी, 02 छूरे, रस्सा)
- 01 जिन्दा गौवंश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर।
2. म0उ0नि0 सुमन यादव थाना नागल सहारनपुर।
3. उ0नि0 रवि कुमार थाना नागल सहारनपुर।
4. उ0नि प्रवीण कुमार थाना नागल सहारनपुर।
5. है0का0 509 राहुल शर्मा थाना नागल सहारनपुर।
6. का0 38 विक्रान्त कुमार थाना नागल सहारनपुर।
7. का0 2337 कृष्णगोपाल थाना नांगल जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 25-09-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला पुलिस नेतृत्वाधीन – “मिसिंग मोबाइल हेल्प डेस्क टीम” द्वारा 85 गुमशुदा मोबाइल फोन किये बरामद (अनुमानित कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये)

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के समक्ष गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के सम्बन्ध आ रही अत्याधिक शिकायतों को देखते हुए, **पुलिस कार्यालय में मोबाइल मिसिंग हेल्प डेस्क का गठन** किया गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर गुमशुदा/खोये हुये मोबाइल फोन को शीघ्र अतिशीघ्र बरामद करने हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। मोबाइल मिसिंग अभियान की प्रभारी क्षेत्राधिकारी सुश्री रूचि गुप्ता को बनाया गया महिला मुख्य आरक्षी प्रीति द्वारा मोबाइल मिसिंग हेल्प डेस्क में प्राप्त प्रार्थना पत्रों को एकत्र किया जाता है आमजन बिना किसी संकोच के अपने गुम हुए मोबाइलों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दे सकते है। उक्त गुमशुदा मोबाइल फोन के प्रार्थना पत्रो को मोबाइल बरामदगी हेतु सर्विलांस सेल को प्रेषित किया जाता है।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में **पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहारनपुर एवं पुलिस अधीक्षक नगर, सहारनपुर** के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सुश्री रूचि गुप्ता के कुशल नेतृत्व में भिन्न-भिन्न तिथियों में गुम हुए मोबाइल फोन के सम्बन्ध में, प्राप्त प्रार्थना पत्रों में गुम हुए मोबाइल फोन को सर्विलांस के माध्यम से तलाश कराया गया तथा तत्परता से कार्यवाही करते हुए सर्विलांस टीम सहारनपुर द्वारा गुमशुदा कुल 85 मोबाइल फोन बरामद किये, **जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख 50 हजार रूपये** है। बरामद किये गये मोबाइल फोन को उनके मालिक/स्वामी को सुपुर्द किये गये। मोबाइल मालिको द्वारा अपने खोये हुए मोबाइल फोन वापस पाकर सहारनपुर पुलिस व सर्विलांस सेल का आभार व्यक्त किया गया।

बरामद कुल 85 मोबाइल फोन का विवरण:-

- 01 मोबाइल फोन Apple कम्पनी
- 29 मोबाइल फोन RedMe/Realme कम्पनी
- 16 मोबाइल फोन Samsung कम्पनी
- 08 मोबाइल फोन Vivo कम्पनी
- 22 मोबाइल फोन Oppo कम्पनी
- 05 मोबाइल फोन Motorola कम्पनी
- 01 मोबाइल फोन Lawa कम्पनी
- 01 मोबाइल फोन OnePlus कम्पनी

- 01 मोबाइल फोन Techno कम्पनी
- 01 मोबाइल फोन Infnix कम्पनी

बरामदगी करने वाली सर्विलांस टीमः-

1- सुश्री रूचि गुप्ता क्षेत्राधिकारी जनपद सहारनपुर
2- निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी जनपद सहारनपुर
3- महिला मुख्य आरक्षी प्रीति जनपद सहारनपुर
4- है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस टीम सहारनपुर।
5- है0का0 आकाश नेहरा सर्विलांस टीम सहारनपुर।
6- है0का0 विनीत तोमर सर्विलांस टीम सहारनपुर।
7- है0का0 मोहित कुमार सर्विलांस टीम सहारनपुर।
8- है0का0 नितिन त्यागी सर्विलांस टीम सहारनपुर।
9- का0 जयवीर राठी सर्विलांस टीम सहारनपुर।
10-का0 2102 सुधीर कुमार थाना मण्डी सहारनपुर।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "मिशन शक्ति 5.0" के तहत मिशन शक्ति केन्द्र थाना बिहारीगढ़ एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा जय जनता इंटर कालेज दामोदर, बिहारीगढ़ में उ0प्र0 शासन की मनसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया</u>

- <u>मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।</u>

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत –

आज दिनांक 25.09.2025 को थाना प्रभारी बिहारीगढ़ श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में एंटी रोमियो टीम महिला उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह, महिला कांस्टेबल अंजू, कांस्टेबल 1873 विक्रांत द्वारा जय जनता इंटर कॉलेज दामोदर बिहारीगढ़ में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया गया एवं सेल्फ डिफेन्स व कानून के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "मिशन शक्ति 5.0" के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा शासन की मनसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन हेतु डायल-112 वाहन की कार्य प्रणाली के विषय में डेमो दिया गया

➢ **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के अन्तर्गत थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्रान्तर्गत आज दिनांक 25.09.2025 को क्षेत्राधिकारी कार्यालय, सहारनपुर सुश्री रूचि गुप्ता की उपस्थिति में एण्टीरोमियों महिला पुलिस टीम द्वारा दयावती इंटर कॉलेज जनपद सहारनपुर में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया गया एवं डायल-112 वाहन की कार्य प्रणाली के विषय में भी जानकारी दी गयी।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "मिशन शक्ति 5.0" के तहत क्षेत्राधिकारी नकुड़ एवं थाना प्रभारी नकुड़ व मिशन शक्ति केन्द्र थाना नकुड़ एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा हरी ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट कालिज एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम टाबर में उ0प्र0 शासन की मनसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया

- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत –

आज दिनांक 25.09.2025 **को क्षेत्राधिकारी नकुड़ श्री अशोक कुमार सिशौदिया एवं थाना प्रभारी नकुड़ श्री संतोष कुमार त्यागी** के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा **हरी ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट कालिज एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम टाबर** में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरूक किया गया एवं विशेष रूप से गुड़ टच व बैड टच, सेल्फ डिफेन्स व महिला सम्बन्धी कानूनों के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "मिशन शक्ति 5.0" के तहत मिशन शक्ति केन्द्र थाना रामपुर मनिहारान एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा बिल क्लिंटन स्कूल कस्बा रामपुर मनिहारान में उ0प्र0 शासन की मनसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया</u>

- **<u>मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।</u>**

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत –

आज दिनांक 25.09.2025 को थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा बिल क्लिंटन स्कूल कस्बा रामपुर मनिहारान में मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया गया एवं सेल्फ डिफेन्स व कानून के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांक 25.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान "मिशन शक्ति 5.0" के तहत मिशन शक्ति केन्द्र थाना गंगोह एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा यू0पी0एस0 कलहरहेडी मर्ज स्कूल के छात्र/छात्राओं को उ0प्र0 शासन की मनसा के अनुरूप महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलबंन हेतु विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया

➤ **मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।**

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति फेज-5.0 के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत –

आज दिनांक 25.09.2025 को थाना प्रभारी रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व में थाना रामपुर मनिहारान एंटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा यू0पी0एस0 कलहरहेडी मर्ज स्कूल कस्बा गंगोह के छात्र/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अन्तर्गत नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन के प्रति जनपद सहारनपुर में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सशक्तिकरण से जागरूक किया गया तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ०प्र० राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय पोषण योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पी०एम० स्वानिधि योजना, पी०एम० सम्मान निधि योजना, वन स्टाप सेन्टर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, प्रधानमंत्री फ्री सिलाई योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना, महिला ई-हाट योजना तथा पुलिस विभाग से संबंधित विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112 इमरजेन्सी कॉल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सी०एम० हेल्प लाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्प लाइन-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्प लाईन-181, साईबर क्राईम हेल्प लाईन 1930 आदि के बारे मे पंपलेट बांटकर जागरुक किया गया एवं सेल्फ डिफेन्स व कानून के सम्बन्ध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

दिनांकः 25.09.2025

-प्रेस नोट-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-2 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को दुष्कर्म के अभियोग में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 लाख 65 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2023 को अभियुक्त पंकज राव पुत्र नारायण राव नि0 भूतनाथ गली दुर्गा मन्दिर रोड, पठानपुरा कोर्ट रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को नौकरी का झांसा देकर 02 लाख रूपये की धोखाधडी करना व दुष्कर्म करना व गाली-गलौच करने की सूचना पर मु0अ0स0-121/2023 धारा 376, 420, 504, 506, 406,भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1888/2023 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त पंकज राव पुत्र नारायण राव नि0 भूतनाथ गली दुर्गा मन्दिर रोड, पठानपुरा कोर्ट रोड थाना सदर बाजार को मु0अ0स0-121/2023 धारा 376, 420, 504, 506, 406, भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 लाख 65 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मैनपाल सिंह

विवेचक- उ0नि0 श्री कृष्णपाल सिंह

पैरोकार-का0 929 अंकित कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

दिनांक- 25.09.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अभियान “मिशन शक्ति 5.0” के तहत मिशन शक्ति केन्द्र महिला थाना एण्टीरोमियों पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिलों से स्टंट करने वाले युवको के वाहनों के विरूद्ध एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर पकड़े गये युवको द्वारा माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोडा गया</u>

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति फेस 5.0 अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती बबीता तोमर के कुशल नेतृत्व में मोटरसाइकिलों से स्टंट करने वाले युवको के वाहनों के विरूद्ध एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही कर पकड़े गये युवकों द्वारा माफी मांगने पर चेतावनी दी गयी। युवको के **भविष्य को दृष्टिगत** रखते हुए उनके परिजनो को बुलाकर चेतावनी देकर उनके परिजनों को सकुशल सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब कर छोडा गया।

<u>स्टंट करने वाले युवको का नाम व पताः-</u>

1. मनीष सैनी पुत्र राकेश निवासी इन्द्रा गाधी कालोनी थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. मोहित सैनी पुत्र नरेन्द्र सैनी निवासी सैनी चौक हसनपुर थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. अभिषेक पुत्र सतकुमार निवासी गलिरा चौक प्राईमरी स्कूल के पास थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
4. रितिक पुत्र रमेश सैनी निवासी बागखेडी थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
5. नितिन सैनी पुत्र मनीष निवासी गलिरा निकट 36 बीघा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।

<u>पुलिस पार्टी का नामः-</u>

1. उ0नि0 पूजा शर्मा महिला थाना सहारनपुर।
2. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार महिला थाना सहारनपुर।
3. म0है0का0 706 सुन्दरी महिला थाना सहारनपुर।
4. म0है0का0 463 राधा महिला थाना सहारनपुर ।
5. म0का0 1542 वर्षा महिला थाना सहारनपुर।
6. म0का0 1756 कोमल महिला थाना सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक 25.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुरउत्तर प्रदेश , माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सहारनपुर पुलिस द्वारा जातिगत होर्डिंग्स, पोस्टर व साइनेज चिन्ह एवं वाहनों पर जातिगत चिन्ह पर की गई कार्यवाही का विवरण

अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा न्यायालय के निर्गत आदेशो के क्रम में सभी जनपद वासियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी दो पहिया अथवा चार पहिया वाहनों पर जाति संबंधित स्लोगन लिखा जाता है तो पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की जायेगी। पहली बार समझाया जाएगा तथा दूसरी बार एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जायेगी । किसी भी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक उद्देश्य से कोई भी रैली निकाली जाती है तो उसमें किसी जाति विशेष को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया जाना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा । किसी साइनेज बोर्ड (किसी गांव अथवा मौहल्ले के साइन बोर्ड) पर किसी जाति विशेष का नाम नही लिखा जायेगा।सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब आदि पर जनपदीय पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है।अगर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी जाति विशेष को बढावा दिया जाता है या किसी जाति की निंदा करने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी पोस्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यावही की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनपद सहारनपुर के समस्त थानों द्वारा दिनांक 25.09.2025 को जाति सम्बन्धी हटाये गये होर्डिंग्स, पोस्टर, साइनेज चिन्ह एवं वाहनों पर जातिगत चिन्ह पर की गई कार्यवाही संख्यात्मक विवरण निम्न हैः-

जातिगत हटाये गये होर्डिंग्स	जातिगत हटाये गये पोस्टर	जातिगत हटाये गये साइनेज (चिन्ह)
09	07	264

दिनांकः 25.09.2025

-प्रेस नोट-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2017 को वादी उ0नि0 अनीस अहमद थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा अभि0 1.अमजद पुत्र गुलामू 2.दिलबर पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कब्जे से 11 कि0ग्राम डोडा पोस्त चूर्ण बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-655/17 धारा 420, 467, 468, भादवि व 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-561/20 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्तगण 1.अमजद पुत्र गुलामू 2.दिलबर पुत्र जाहिद निवासीगण ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-655/17 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुए अभियुक्तगण को 03 वर्ष का कारावास व 30 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

नोट- अभियुक्तगण धारा 467, 468, 420 भादवि मे दोषमुक्त किये गये।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक- उ0नि0 जितेन्द्र सिंह
पैरोकार-है0का0 रवि अन्तल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।